तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश **प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए** **अनवान विजयपाल आदि बनाम ओमप्रकाश आदि** प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रश्नगत रकबा पर प्रार्थी गण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला चाही गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रश्नगत रकबा चक 5 बीआरपी के खाता संख्या 7/8 के प.न. 22/357 मु.न. 29 व प.न. 22/358 मु.न. 44 की कुल 1.442 है. कृषि भूमि पर दिनांक 04.07.23 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रथम दृश्या मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जरी की गई है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स. 2 को जरिये नोटिस तामिल होने पर हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामस्वरूप तावणियां हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1 बंद किया गया है। बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र में उभय पक्ष द्वारा पैरवी की जा रही है। वाद पत्र का निस्तारण बाद साक्ष्य गुणोंवगुण पर किया जाना है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थगनादेश ता दावा ता फैसला निरन्तर करने से उभ्य पक्ष के मध्य विवाद कम करने में सहायक ही होगा इस लिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर दिनांक 04.07.23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा ता फैसला निरन्त किया जाता है। पत्राली में निर्णय शामिल हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।	